

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर



शुद्धि-पत्र

क्रमांक सी/1933 /  
(तीन-18-180-75)

जबलपुर, दि० 24 अप्रैल, 2019

रजिस्ट्री आदेश क्र० सी/1562 सहपठित पृ० क्र० सी/1563/तीन-18-180/75 दि० 28/03/2019 के संदर्भ में शुद्धिपत्र जारी किया जाता है कि-

1. कंडिका (क) के क्र० 14 पर अंकित श्री विजय कुमार विश्वकर्मा, सहायक ग्रेड-3, अनूपपुर का डिण्डौरी स्थापना पर स्वयं के व्यय पर, अंतर जिला स्थानांतरण निरस्त किया जाता है।
2. कंडिका (क) के क्र० 22 पर अंकित श्री कुलदीप शर्मा आदेशिका वाहक, सागर के नवीन पदस्थापना ग्वालियर पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि में वृद्धि की जाकर दिनांक 05/08/2019 नियत की जाती है।

**नोट:-** रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg (IT)(SA)/2018/368, दिनांक 01.03.2018 के द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापना संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर, पालन सुनिश्चित करें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

*Sd/*  
(बी०पी०शर्मा)  
रजिस्ट्रार (डी०ई०)

पृष्ठांकन क्रमांक सी/1933 /  
(तीन-18-180-75)

जबलपुर, दि० 24 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर/डिण्डौरी/सागर/ग्वालियर म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
2. श्री विजय कुमार विश्वकर्मा, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
3. श्री कुलदीप शर्मा, आदेशिका वाहक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
4. रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि म०प्र० उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
5. रजिस्ट्रार (डी०ई०) के निज सचिव/अनुभाग अधिकारी, जिला स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

*Sd/*  
(बी०पी०शर्मा)  
रजिस्ट्रार (डी०ई०)